तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06 $\frac{03}{25}$	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रश्न में बहस कीगयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 07/03/25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई
07 $\frac{03}{25}$	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष द्वारा कीगयी बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभय पक्ष बहस पर मनन करने के आधार पर वादी वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं वकील उभय पक्ष बहस पर मनन के आधार वादीगण वाद पोषणीय नहीं होनेसे खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो हुक्म सुनाया [signature] 07/3/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्याः 118/2021
प्रकरण दायर दिनांकः 08.06.2021
प्रकरण निर्णय दिनांकः 07.03.2025

उनवान

1. गेन्दा पुत्र सोन्या जाति बैरवा निवासी मुकरपुरा चौराहा के पास मुकरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा

– वादी

बनाम

1. जौहरी
2. बद्री — पुत्रान सोन्या
3. रमेश चंद
4. प्रेमचंद
5. जगन प्रसाद — पुत्रान स्व. गोविन्दा
6. रतनलाल

समस्त जाति बैरवा निवासी मुकरपुरा तह. बसवा

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा

::निर्णय::

वादी द्वारा वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जर्ये वकील श्री ऋषभदेव जैमन , श्री नवल किशोर बैरवा के इस आशय से पेश किया है कि भूमि खाता संख्या नया 14 पुराना 15 खसरा नं. 905/625 रकबा 0.13 हैक्टे. वाके ग्राम मुकरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित हैं । जिसका वादी तन्हा खातेदार, काश्तकार है तथा उसका उपयोग उपभोग अपने बुजुर्गान के समय से करता चला आ रहा है। वर्तमान में उसमें वादी का मौके पर पुख्ता मकान बना हुआ है तथा उक्त भूमि के उत्तर दिशा में गुढाकटला रोड तथा पूर्व दिशा में मेगा हाईवे सिकन्दरा–अलवर रोड स्थित है। उक्त भूमि को आगे दावे में भूमि मुतदाविया के नाम से संबोधित किया जावेगा। भूमि मुतदाविया वादी की पैतृक काश्त की भूमि है जिस पर अपने बुजुर्गान के समय से ही वादी काविज काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि में वादी का पुख्ता मकान भी लगभग 50 वर्षो से मौजूद है जिस पर वादी रहवास कर रहा है इस प्रकार वादी ही भूमि मुतदाविया का तन्हा खातेदार काश्तकार है तथा उस पर उसका कदीमी कब्जा चला आ रहा है। किसी दीगर सख्स व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 का भूमिह मुतदाविया से किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार कभी भी नहीं रहा है तथा

आज भी नहीं है। प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 लाठी के जोर वाले अधिक मिनख वाले व्यक्ति है जो बल प्रयोग कर भूमि मुतदाविया पर अवैध रूप से काबिज होने की नीयत रखते है व आये दिन वादी को भूमि मुतदाविया से बेदखल करने की धमकी देते हे तथा लडाई झगडे पर आमादा रहते है। वादी कई बार अपने रिश्तेदारान व समाज के मौजिज व्यक्तियों के द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास कर चुका है लेकिन वे अपनी बेजा हरकतो से बाज नहीं आ रहे है। गत दिनांक 05.06.2021 को प्रतिवादीगण दिन में 10.00 बजे के लगभग भूमि मुतदाविया पर आये तथा वहॉ पर कंकर पत्थरों की ट्रोली को पुख्ता निर्माण करने के लिए मौके पर डलवा दिया तथा जेसीबी मशीन को नींव खोदने के लिए मौके पर बुलवा लिया। वादी तथा उसके परिवारजन ने उन्हे काफी समझाईश का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने मजबूरी में वादी ने मुकामे पुलिस थाना बांदीकुई में मोबाइल से सूचना दी, जिस पर वे उस समय तो मौके से चले गये तथा एलानियां धमकी देकर गये कि हम इस लॉकडाउन समय से अंदर भूमि मुतदाविया पर जबरन पुख्ता निर्माण कार्य करके तुम्हे बेकब्जा करके रहेगे। प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार भूमि मुतदाविया पर पुख्ता निर्माण करने बाबत प्राप्त नहीं है। वादी ही भूमि मुतदाविया का तन्हा खातेदार, काश्तकार है तथा वादी को ही भूमि मुतदाविया पर समस्त मालिकाना हक, अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 बल प्रयोग कर भूमि मुतदाविया पर वादी के विधिक अधिकार का हनन कर उस पपर पुख्ता निर्माण कार्य कर उसे बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 यदि अपने नाजायज उद्देश्य में सफल हो गये तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं है तथा मौके पर संगीन वारदात होने की भी पूरी–पूरी संभावना है। ऐसी सूरत में वादी, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है वो भूमि मुतदाविया में किसी भी प्रकार का पुख्ता निर्माण कार्य करने से, वादी को बेदखल करने से, उसके उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से व उसे भूमि मुतदाविया में प्राप्त विधिक अधिकारों के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही करने से सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। वाद कारण दिनांक 05.06.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि मुतदाविया में अवैध रूप से प्रवेश कर निर्माण साम्रगी मौके पर डलवा कर निर्माण करने की धमकी देने से पैदा होकर अंदर मियाद वाद पत्र पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें कि भूमि खसरा नं. 905/625 रकबा 0.13 हैक्टेयर वाके ग्राम मुकरपुरा तहसील बसवा में स्थित जिस पर वादी का पुख्ता मकानात मौजूद है तथा वादी ही उक्त भूमि का तन्हा खातेदार काबिज काश्तकार है। उस पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 किसी भी प्रकार का अवैध पुख्ता व खाम निर्माण कार्य करने से वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा करने से उसे बेदखल करने से व भूमि मुतदाविया में उसके हितो के विरूद्ध कोई भी अवैध कार्य करने के लिए सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस/सम्मन से की गयी। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से एड. श्री सम्पतराम जांगिड ने पावर पेश की। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा जर्ये वकील श्री सम्पतराम जांगिड के प्रार्थना पत्र दावा स्थायी

Scanned with OKEN Scanner

निषेधाज्ञा को स्टे करने बाबत पेश कर अवगत करवाया कि वादी ने यह दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कतई गलत व तथ्यों के विपरीत पेश कर दी है जो स्टे किये जाने योग्य है न्यायालय हाजा में एक दावा उनवानी गेंदा बनाम गोविन्दा प्रकरण संख्या 205/2006 में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.08.2008 व 13.04.2009 को डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री की अपील गोविन्दा बनाम गेंदा वगैरह की एक अपील न्यायालय भू प्रबंधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प बांदीकुई में पेश की जिसको विपक्षी हाजिर अदालत आने पर और बहस अपील सुनने के उपरांत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भू प्रबंधक अधिकारी राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प बांदीकुई ने अपने निर्णय दिनांक 21.09.2015 को अपील निर्णित करते हुये यह आदेश प्रदान किया कि अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के प्राथमिक व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2009 एवं 13.04.2009 निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष को तलब कर पूर्ण सुनवायी व सबूत का अवसर दिया जाकर प्राथमिक व अंतिम निर्णय व डिक्री को पारित करें। निर्णय दिनांक 21.09.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस बात की जानकारी वादी प्रार्थी को थी और उस तथ्य को छिपाकर उक्त डिक्री दिनांक 30.08.2009 एवं 13.04.2009 की कियान्विति को जानकारी होते हुये भी करवा दी जो कानून विरूद्ध होने के कारण दावा गेंदा बनाम जौहरी गलत तथ्यों पर पेश किया है जो स्टे किया जाना आवश्यक है। वादी प्रार्थीगण को इस बात का अमल होते हुये भी कि दावे में प्राथमिक व अंतिम डिक्री न्यायालय हाजा भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प बांदीकुई द्वारा उप जिला कलक्टर बांदीकुई का निर्णय व प्राथमिक 30.08.2009 व 13.04.2009 निरस्त हो गया है जिसके बावजूद भी कपट पूर्वक न्यायालय हाजा को धोखा देकर गलत तरीके से दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जबकि उक्त निर्णय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई को अपीलेट न्यायालय ने 21.09.2015 को अपास्त कर दिया गया था उसके बावजूद भी सही तथ्यों को छिपाकर न्यायालय हाजा में धोखा देने की गरज से अनफिट लाभ प्राप्त करने के लिये बना कानून तकास्मा किये हुये दिनांक 30.08.2009 एवं दिनांक 13.04.2009 के इजराय की कियान्विति की गयी जो स्टे किये जाने योग्य है तथा उसी आधार पर एक अलग से दावा गेंदा बनाम जौहरी को चलने योग्य नहीं होने के कारण दावा व प्रार्थना पत्र को स्टे किया जाकर पुराना वाद गेंदा बनाम गोविन्दा में समायोजित किया प्रकरण को नियमानुसार सुनवायी हेतु रखा जावें जिससे प्रार्थीगण को न्याय मिल सके। वादी व प्रार्थी द्वारा उनवानी मुकदमा गेंदा बनाम गोविन्दा मु.नं. 205/2006 के निर्णय 30.08.2009 व 13.04.2009 की कियान्विति रोके और गेंदा बनाम गोविन्दा के प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर निर्णित करें। वादी द्वारा की गयी कार्यवाही दिनांक 30.08.2009 व 13.04.2009 की कियान्विति रद्द समझा जावें अतः प्रार्थना पत्र स्टे मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनुवानी वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्टे किये जाने की कृपा की जावें।

हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। उभयपक्ष वकुलाय ने वाद पत्र/ जबाब वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया वादीगण वकील ने भूमि खसरा नं. 905/625

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.13 हैक्टे. वाके ग्राम मुकरपुरा तहसील बसवा में स्थित जिस पर वादी का पुख्ता मकानात मौजूद है तथा वादी ही उक्त भूमि का तन्हा खातेदार काबिज काश्तकार है उस पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 किसी भी प्रकार का अवैध पुख्ता व खाम निर्माण कार्य करने से वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा करने से उसे बेदखल करने से व भूमि मुतदाविया में उसके हितो के विरूद्ध कोई भी अवैध कार्य करने के लिए सदैव के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने बाबत निवेदन किया। तथा प्रतिवादीगण वकील द्वारा बहस में उक्त वाद पत्र को स्टे किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। वादीगण वादपत्र एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। स्वयं वादी द्वारा उक्त वाद से संबंधित एक अन्य वाद प्रकरण संख्या 182/2024 नया, 205/2006 पुराना उनवान गेंदाराम बनाम गोविन्दा किस्म तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा इस न्यायालय में विचाराधीन है जो माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 21.09.2015 की पालना में रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई है जिसमें गुवावगुण के आधार पर उभयपक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर प्रारंभिक व अंतिम निर्णय पुनः पारित किया जाना हैं। अतः वादीगण वाद से संबंधित भूमि खसरान का एक अन्य वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन होने तथा उसका निर्णय होने तक वादी वाद में कोई विधिक कार्यवाही किया जाना व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन करने के आधार पर ,वादी वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07.3.25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बाँदीकुई

Scanned with OKEN Scanner